रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244758
CG-DL-E-29032023-244758

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1456] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
No. 1456] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1509(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3289 (अ) 24 सितंबर, 2020, में भूजल के निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए प्रकाशित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में अनुसूची के लिए अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिस्थापित/जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची

1.भारत में भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश, 2020 में-

(क) इंडेक्स में मद संख्या 16.0 में, "दंड का प्रावधान" शब्दों के लिए "एनओसी में सुधार/संशोधन के लिए दंड और शुल्क का प्रावधान" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा|

(ख) इंडेक्स में, अनुलग्नक में, "अनुबंध VI: आधारभूत परियोजनाओं की सांकेतिक सूची", शब्दों के स्थान पर, "अनुबंध VI: स्थान विशिष्ट आधारभूत परियोजनाओं की सांकेतिक सूची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) इंडेक्स में, अनुलग्नक में, "अनुबंध X: उद्योगों द्वारा वार्षिक जल लेखा परीक्षा", शब्दों के स्थान पर, "अनुबंध X: उद्योगों द्वारा जल लेखा परीक्षा" शब्दों को, प्रतिस्थापित किया जाएगा।.

2. उक्त दिशानिर्देशों में पैरा 1.0 में, खंड (v) के बाद, खंड (vi), (vii) को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(vi) सभी आकलन इकाइयों में केवल पीने/घरेलू प्रयोजनों के लिए 5 घन मीटर/दिन तक भूजल की निकासी करने वाले सभी उद्योग/खनन परियोजनाएं/अवसंरचना परियोजनाएं।

(vii) आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी:

(क) दिशानिर्देशों के पैरा 2.0 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पेय जल और घरेलू उपयोग के लिए 20 घन मीटर /दिन तक भूजल की निकासी।

(ख) सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास इकाइयां"।

3.उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2.0 में:-

(i).उप-पैरा 2 जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

> " सभी आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए सभी निष्कर्षण संरचना (ओं) में डिजिटल जल प्रवाह मीटर (बीआईएस / आईएस मानकों के अनुरूप) की संस्थापना अनिवार्य होगी। ऐसे सभी आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जिनमे स्विमिंग पूल हैं और भूजल की निकासी की जा रही है,के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

(ii). खंड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"घ) खारे भूजल के निष्कर्षण के मामले में, किसी भी नेशनल अक्रेडीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला से मौजूदा बोरवेल / नलकूप / खोदे गए कुएं का भूजल गुणवत्ता डेटा।

नोट: नई परियोजनाओं के मामले में खारे भूजल की निकासी के लिए उपर्युक्त प्रयोगशालाओं से निकटवर्ती मौजूदा कुओं के जल की गुणवत्ता के आंकड़े/ की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(iii) खंड (ङ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ङ) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति अथवा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग उपनियमों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव।".

(iv). पैरा 2.0 में, खंड (ङ) के बाद, एक और खंड (च) अंतःस्थापित / जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"च) सभी नई परियोजनाओं के लिए, परियोजना के पूरा होने की तारीख के उल्लेख सहित एक स्वतः घोषणा/शपथ पत्र (विधिवत नोटरीकृत) अनिवार्य होगा।"

4.पैरा 4.0 में उप पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"भूजल का निष्कर्षण करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रासंगिक धाराओं में उल्लिखित अनुसार जल के उपयोग के लेखापरीक्षा सहित ऑनलाइन जल लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करनी होगी। सीजीडब्ल्यूए/राज्य भूजल प्राधिकरण (एसजीडब्ल्यूए) ऐसी सभी ऑडिट रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

5.पैरा 4.1 में:-

(i). खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) 100 घनमीटर/दिन से अधिक भूजल का निष्कर्षण करने वाले सभी उद्योगों को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के प्रमाणित लेखा परीक्षकों के माध्यम से द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) जल लेखा परीक्षा करनी होगी और इसके पूरा होने के तीन माह के भीतर सीजीडब्ल्यूए को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पहले दी गई रिपोर्टों के अनुपालन की जाँच एक वर्ष के बाद प्रमाणित जल लेखा परीक्षकों द्वारा की जाए और इस संबंध में रिपोर्ट सीजीडब्ल्यूए के साथ साझा की जाए।

ऐसे सभी उद्योगों को उपयुक्त उपायों के माध्यम से अगले तीन वर्षों में अपने भूजल के उपयोग में कम से कम 20% तक कटौती करनी होगी।"

(ii) खंड (iv) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv). औद्योगिक क्षेत्रों (केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या अधिसूचित) में, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) स्थानीय जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार आवश्यकता-आधारित पीज़ोमीटर का निर्माण करेगा और जल स्तर की मॉनिटरिंग करेगा।

ऊपर उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त हार्ड रॉक एक्विफर प्रकार के लिए 100 घन मीटर /दिन से अधिक और एल्यूवियम एक्विफर प्रकार के लिए 500 घन मीटर /दिन से अधिक भूजल की निकासी के लिए परिसर के भीतर प्रेक्षण कुओं/(पीजोमीटर) का निर्माण और धारा 14 में उल्लिखित उपयुक्त जल स्तर मॉनिटरिंग तंत्र की स्थापना उद्योगों/अवसंरचना निकासी / निकासी के प्रस्ताव के लिए अनिवार्य होगी। इन क्षेत्रों में जल स्तर की मॉनिटरिंग परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की जाएगी। यदि टैप किया गया जलभृत कठोर चट्टानी है तो निष्कर्षण संरचना और पीजोमीटर के बीच न्यूनतम दूरी 15 मीटर होगी और यदि जलभृत जलोढ़ है तो यह दूरी 50 मीटर होगी। पीजोमीटर में टैप की गई गहराई और जलभृत क्षेत्र पम्पिंग कुएं/कुओं के समान होंगे। पीजोमीटर के डिजाइन और निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध II में दिए गए हैं। वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को मासिक जल स्तर डेटा प्रस्तुत किया जाएगा"।

(iii) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग). खारे भूजल के निष्कर्षण के मामले में, किसी भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से मौजूदा बोरवेल/ट्यूबवेल/कुएं के भूजल गुणवत्ता डेटा।

नोट: नई परियोजनाओं के मामले में खारे भूजल की निकासी के लिए उपर्युक्त प्रयोगशालाओं से जल की गुणवत्ता के आंकड़े/ निकटवर्ती मौजूदा कुओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

(iv) खंड (घ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) सभी नई परियोजनाओं के लिए नई स्थापना/प्रचालन के आरंभ के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अर्थात स्थापना के लिए सहमति/पर्यावरणीय मंजूरी/किसी वैधानिक एजेंसी से कोई अन्य दस्तावेज।

(v) खंड (ङ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ)आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति अथवा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उपनियमों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन / पुनर्भरण का प्रस्ताव।.

(vi) खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(च)**प्रभाव आकलन रिपोर्ट:** अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100 घन मीटर/दिन से अधिक और गैर-जलोढ़ आच्छादित क्षेत्रों में 500 घन मीटर/दिन से अधिक और सुरक्षित आकलन इकाइयों में जलोढ़ क्षेत्रों में 2000 घन मीटर/दिन से अधिक भूजल निकालने वाली सभी परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा तैयार परियोजना स्थल के आसपास के 5 किमी त्रिज्या क्षेत्र को शामिल करते हुए भूजल प्रणाली पर मौजूदा / प्रस्तावित भूजल निकासी के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और भूजल मॉडलिंग अध्ययन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्ट का प्रपत्र अनुबंध IV में दिया गया है।".

6. पैरा 4.2 में,

(i). खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ii) 100 घन मीटर/दिन से अधिक भूजल निकालने/प्रस्तावित करने वाले खानों के लिए के लिए मासिक भूजल स्तर की मॉनिटरिंग के लिए परिसर में परिधि के साथ प्रेक्षण कुएं (पीजोमीटर) का निर्माण अनिवार्य होगा। पीजोमीटर में टैप की गई गहराई और जलभृत क्षेत्र बफर क्षेत्र में सिंचाई/ पेय जल के लिए उपयोग किए जाने वाले जलभृत के अनुरूप होगा। पीजोमीटर के डिजाइन और निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध II में दिए गए हैं।".

(ii). खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति अथवा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल भवन उपनियमों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन / पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव अथवा जैसा कि खान के परिसर में व्यवहार्य है और जैसा कि सीजीडब्ल्यूए/राज्य एजेंसियों द्वारा अनुमोदित है"|

(iii). खंड (ग) के बाद, एक और खंड (घ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) सभी नई परियोजनाओं के लिए नई परियोजना/प्रचालन की शुरुआत के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अर्थात स्थापना के लिए सहमति/पर्यावरणीय मंजूरी/किसी वैधानिक एजेंसी से कोई अन्य दस्तावेज।".

7. पैरा 4.3 में:-

(i). उप पैरा 3 में, "आधारभूत परियोजनाओं की सांकेतिक सूची अनुलग्नक VI में दी गई है" शब्दों के स्थान पर, "पेय /घरेलू उपयोग के लिए भूजल की आवश्यकता वाले वाणिज्यिक आधारभूत परियोजनाओं को भी इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा"। इसके अतिरिक्त स्थान विशिष्ट आधारभूत परियोजनाओं की सांकेतिक सूची अनुबंध VI में दी गई है" को इसके बाद दिए गए संशोधित अनुबंध VI द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii). खंड (v) के बाद, एक और खंड (vi) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) सभी स्टेडियम, क्रिकेट मैदान और अन्य खेल मैदान/कोर्ट, गोल्फ कोर्स आदि भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के लिए उपयुक्त प्रणाली तंत्र का निर्माण/स्थापना करेंगे।

(iii). खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे मामलों में जहां डीवाटरिंग शामिल है, मान्यता प्राप्त सलाहकार द्वारा क्षेत्र में भूजल की स्थिति पर 5 किमी के दायरे में भूजल मॉडलिंग सहित प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमे पंपिंग की विस्तृत योजना, पंप किए गए जल के प्रस्तावित उपयोग और व्यापक भूजल व्यवस्था के प्रभाव का आकलन अनिवार्य होगा। इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों जैसे भूजल स्तर में गिरावट, भूस्खलन आदि को दूर करने के लिए पर्यावरणीय जोखिमों और प्रस्तावित प्रबंधन कार्यनीतियों को उजागर करना होगा ।

(iv). खंड (ङ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उपनियमों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन / पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव ।".

(v). खंड (छ) के बाद, एक और खंड (ज) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(छ) सभी नई परियोजनाओं के लिए भवन योजना अनुमोदन या किसी वैधानिक एजेंसी से नई परियोजना के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।"।

8. पैरा 5.1 के तहत खंड I में, तालिका 5.1के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका 5.1को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका 5.1 पेय और घरेलू उपयोग के लिए भूजल निकासी शुल्क

भूजल निकासी की मात्रा (घन मीटर /दिन)	**भूजल निकासी शुल्क की दर (रु. प्रति घन मीटर)**
0-25	कोई शुल्क नहीं
> 25- < 200	1.00
200 और अधिक	2.00

पेय /घरेलू उपयोग के लिए जल की आपूर्ति करने वाली सरकारी/सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियां तथा सरकारी आधारभूत परियोजनाओं को भूजल निकासी की मात्रा पर विचार किए बिना भूजल निकासी शुल्क @ 0.50 रुपये प्रति घन मीटर का भुगतान करना होगा" ।

9. पैरा 6.0, उप पैरा 2 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ऐसे सभी उपयोगकर्ता जिनके द्वारा भूजल की निकासी की जा रही है और निजी टैंकरों के माध्यम से थोक जल आपूर्ति के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा रहा है , उन्हें सीजीडब्ल्यूए द्वारा समय-समय पर जारी और अद्यतन किए गए थोक जल आपूर्तिकर्ताओं के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से भू-जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।"

10. पैरा 7.0, उप पैरा 3 मेंनिम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"खारे भूजल का निष्कर्षण सीजीडब्ल्यूए द्वारा खारे भूजल निकासी के लिए समय-समय पर जारी और अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।"

11. पैरा 8.0 में,

उप पैरा 2 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सीमांकित आर्द्र-भूमि क्षेत्रों की परिधि से 500 मीटर के भीतर आने वाली परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूजल निकासी से किसी भी संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त सीजीडब्ल्यूए से अनुमति लेने से पूर्व परियोजनाओं को क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त आर्द्रभूमि प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण या किसी अन्य उपयुक्त स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से सहमति/अनुमोदन लेना होगा।"

12. पैरा 9.0 में:-

(i). खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i). अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एब्स्ट्रेक्शन स्ट्रक्चर में टेलीमेट्री सिस्टम सहित टैम्पर प्रूफ डिजिटल वाटर फ्लो मीटर/प्री पेड मीटर (एस) (बीआईएस/आईएस मानकों के अनुरूप) की संस्थापना अनिवार्य होगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर इसकी संस्थापना के विषय में वेब-पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को सूचित किया जाए ।

यदि भूजल निष्कर्षण एक ही परिसर के भीतर कई बोर/नलकूपों से होता है, तो टैम्पर-प्रूफ डिजिटल जल प्रवाह मीटर/ टेलीमेट्री के साथ प्री पेड मीटर को सामान्य आउटलेट बिंदु पर स्थापित किया जा सकता है।

(ii). खंड (iv) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"iv. प्रस्तावक द्वारा धारा 5 में दी गई दरों के अनुसार भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर भूजल निकासी / बहाली शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

(iii). खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"v. भूजल स्तर की मॉनिटरिंग के उद्देश्य से निर्मित प्रेक्षण कुएं (पीजोमीटर) धारा 14 के अनुसार संस्थापित किए जाएंगे। जल स्तर के आंकड़े वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को उपलब्ध कराए जाएंगे। पीजोमीटर के निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध-II में दिए गए हैं।"।

(iv). खंड IX के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"ix. स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, परिसर के नए मालिक को परिसर का कब्जा लेने के 60 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा।"।

13. पैरा 14.0 में,

(i). उप पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके पश्चात उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त , सभी परियोजना प्रस्तावकों (हार्ड रॉक एक्विफर प्रकार के लिए 100 घन मीटर /दिन से अधिक और एल्यूवियम एक्विफर प्रकार के लिए 500 घन मीटर /दिन से अधिक भूजल की निकासी के लिए) को अनिवार्य रूप से भूजल स्तर की मॉनिटरिंग के लिए अपने परिसर के भीतर पीज़ोमीटर (प्रेक्षण कुएँ) का निर्माण करना होगा। । इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में (केंद्र / राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या अधिसूचित), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) स्थानीय भूगर्भीय स्थितियों और जल स्तर की मॉनिटरिंग के अनुसार आवश्यकता-आधारित पीजोमीटर का निर्माण करेगा। परियोजना क्षेत्र में भूजल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा अनुपालन तंत्र बनाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पीजोमीटर के माध्यम से जल स्तर की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक मानदंड तालिका 14.1 में दिए गए हैं"।

(ii). तालिका 14.1 के लिएनिम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

तालिका 14.1 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर **)और टेलीमेट्री के साथ निर्माण किए जाने वाले पीज़ोमीटर की संख्या और जल स्तर मॉनिटरिंग तंत्र के प्रकार**

क्र. सं .	भूजल निकासी की मात्रा (घन मीटर /दिन)	पीजोमीटर की संख्या (डीडब्ल्यूएलआर और टेलीमेट्री की सहित)
1.	0-100	0
2.	>100 (औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त में हार्ड रॉक एक्विफर)	1
3.	>500 (औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त में जलोढ़ जलभृत)	1

14. पैरा 16.0 में तालिका 16.1 में,

(i). क्रम संख्या 2, अर्थात "गैर प्रकटीकरण / अतिरिक्त भूजल निष्कर्षण संरचनाओं का निर्माण

ए) गैर-कार्यात्मक संरचनाएं।

बी) अप्रचलित / परित्यक्त

नोट: दी गई दरें गैर-कार्यात्मक/अप्रचलित /परित्यक्त संरचनाओं के लिए हैं। समेकित जुर्माने के आंकड़े के लिए इसे ऐसी कुल संरचनाओं से गुणा किया जाएगा "।

को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

"अतिरिक्त भूजल निष्कर्षण संरचनाओं का गैर-प्रकटीकरण/निर्माण

क) कार्यात्मक / गैर-कार्यात्मक संरचनाएं।

बी) अप्रचलित / परित्यक्त

नोट: दी गई दरें कार्यात्मक/गैर-कार्यात्मक/अप्रचलित /परित्यक्त संरचनाओं के लिए हैं। समेकित जुर्माने के आंकड़े के लिए इसे ऐसी कुल संरचनाओं से गुणा किया जाएगा "।

(ii). क्रम संख्या 7 के तहत, "पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव न होना" शब्दों के स्थान पर "जल संरक्षण संरचनाओं/पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव न होना" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii). पैरा 16.0 में उप पैरा 2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" नए एनओसी / एनओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क समय-समय पर सीजीडब्ल्यूए द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाएगा और इसे आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मौजूदा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में सुधार/संशोधन के लिए भी शुल्क देय होगा।".

(iv). तालिका 16.2 में,

i. तालिका के शीर्षक/शीर्षक के अंतर्गत, "प्रस्तावित शुल्क" शब्दों के स्थान पर "शुल्क" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ii. क्रम. संख्या 1 (अर्थात शब्द "लागू शुल्क सहित रिचार्ज मात्रा में परिवर्तन") का लोप किया जाएगा।

15. अनुलग्नक II मेंबुलेट बिंदु 1 के स्थान परनिम्नलिखित बुलेट बिंदु प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

यदि टैप किए जाने वाला जलभृत कठोर चट्टान है तो भूजल निकाले जाने वाले पम्पिंग कुएं से पीज़ोमीटर को 15 मीटर की न्यूनतम दूरी पर संस्थापित / निर्मित किया जाना है । यदि जलभृत जलोढ़ है तो यह दूरी 50 मीटर होगी । पीज़ोमीटर का व्यास लगभग चार इंच से छह इंच होना चाहिए।

16. उक्त दिशा-निर्देशों में, अनुलग्नक VI को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुबंध VI

स्थान विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं की सांकेतिक सूची

क्र. सं.	अवसंरचनात्मक परियोजनाएं
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
2.	मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन और बस डिपो
3.	हवाई अड्डे, बंदरगाह, लॉजीस्टिक, कार्गो और गोदाम

4.	हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर
5.	अग्निशमन केंद्र
6.	अस्पताल और नर्सिंग होम
7.	स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र/कौशल विकास केंद्र सहित शैक्षणिक संस्थान

नोट:- भूजल उपयोग के लिए एनओसी की आवश्यकता में पेयजल/घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता भी शामिल है।

17. उक्त दिशा-निर्देशों मेंअनुलग्नक VIII को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुबंध VIII

ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जहां केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भूजल निकासी का विनियमन किया जा रहा है

1.	अंडमान और निकोबार
2.	असम
3.	अरुणाचल प्रदेश
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ
6.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
7.	गुजरात
8.	झारखंड
9.	मध्य प्रदेश
10.	महाराष्ट्र
11.	मणिपुर
12.	मेघालय
13.	मिजोरम
14.	नागालैंड
15.	ओडिशा
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा
19.	उत्तराखंड

नोट: उपरोक्त सूची परिवर्तनशील है और इसमें किसी भी प्रकार के जोड़/लोप को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, परियोजना प्रस्तावकों सहित उद्योगों को सूचित किया जाएगा।

18. अनुलग्नक IX (प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की शब्दावली) में क्रम संख्या 17 के तहत, "पेय और घरेलू उपयोग: पेय और घरेलू उपयोग के अलावा, यह श्रेणी अस्पताल, होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स, संस्थानों, कार्यालय, बैंकेट हॉल, फायर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंदरगाह, स्टेडियम आदि औद्योगिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक जल नहीं बल्कि औद्योगिक के पेय जरूरतों को कवर करेगी" शब्दों के स्थान पर " **पेय और घरेलू उपयोग:** स्वच्छ उद्देश्यों यथा खाना पकाने, स्नान, सफाई/ धुलाई, स्वच्छता आदि सहित दैनिक घरेलू गतिविधियों के लिए आवश्यक जल। पेय और घरेलू उपयोग के अलावा, यह श्रेणी अस्पताल, होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स, संस्थानों, कार्यालय, बैंकेट हॉल, फायर स्टेशन, मेट्रो

स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंदरगाह, स्टेडियम आदि औद्योगिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक जल नहीं बल्कि औद्योगिक के पेय जरूरतों को कवर करेगी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।।

19. **अनुलग्नक X** में, शीर्षक के अंतर्गत, "उद्योगों द्वारा वार्षिक वाटर ऑडिट (स्रोत-CII)" शब्दों के स्थान पर, "उद्योगों द्वारा जल ऑडिट" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। "

[फा. सं. 23014/29/2021-समन्वय अनुभाग-भाग(2)]

आशीष कुमार, निदेशक

नोट: 'भारत के भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के दिशानिर्देश' भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में एस.ओ. 3289 (ई) द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1509(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, hereby makes the following amendments to the guidelines to regulate and control groundwater extraction in India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide Notification number S.O. 3289 (E) 24th September, 2020, namely:-

In the said notification, for the Schedule, the following changes in the Schedule shall be substituted/added, namely:-

"Schedule

1. In the Guidelines to regulate and control groundwater extraction in India, 2020 -

(a). in the Index, Item no. 16.0 ,for the words "Provisions of Penalty" the words "Provision of Penalty and Charges for correction/modifications in NOCs" shall be substituted.

(b). in the index, in the Annexures, for the words, "Annexure VI : Indicative list of Infrastructure projects", the words, "Annexure VI : Indicative list of location specific Infrastructure projects" shall be substituted.

(c). in the index, in the Annexures, for the words, "Annexure X : Annual water audits by the industries" , the words, "Annexure X : Water audits by the industries" shall be substituted.

2. In the said guidelines, in the paragraph 1.0, after clause (v), clauses (vi),(vii) shall be added namely:-

"(vi) All industries/ mining projects/ infrastructure projects drawing ground water only for drinking/ domestic purposes up to 5 Cum /day in all assessment units.

(vii) Residential Apartments and Group Housing Societies:

(a) For drinking water and domestic uses, drawing ground water upto 20 m^3/day subject to the conditions mentioned in Para 2.0 of the guidelines.

(b) Dwelling units for Economically Weaker Sections (EWS) under Government schemes.".

3. In the said guidelines, in the paragraph 2.0:-

(i). Sub-para 2 shall be added namely-:

"Installation of digital water flow meter (conforming to BIS/ IS standards) in all abstraction structure(s) shall be mandatory for all Residential Apartments and Group Housing Societies. All Residential Apartments and Group Housing Societies having swimming pools drawing ground water shall be mandatorily required to seek No Objection Certificate."

(ii). for the clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
"d) In case of saline ground water extraction**,** ground water quality data of existing bore well/ tube well/ dug well from any National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory or Govt. approved laboratory.

Note: In case of new projects, water quality data/report of nearby existing wells from above-mentioned laboratories may be submitted for saline ground water extraction.".

(iii). for the clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"e) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India.".

(iv). in the paragraph 2.0, after the clause (e), one more clause (f), shall be inserted/added, namely:-

"f) For all New projects, a self declaration/ affidavit (duly notarized) indicating date of completion of project shall be required.".

4. In the paragraph 4.0, for sub para 3, the following sub para shall be substituted, namely:-

"Commercial entities extracting ground water shall be required to submit online water audit report including an audit of water use as mentioned in the relevant sections. CGWA/ State Ground Water Authority (SGWA) shall publish all such audit reports online.".

5. In the paragraph 4.1:-

(i). for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii). All industries abstracting ground water in excess of 100 m^3/day shall be required to undertake biennial (once in two years) water audit through certified auditors of agencies as approved by CGWA and submit audit reports within three months of completion of the same to CGWA. Compliance of the earlier given reports may be checked by certified water auditors after one year and the report in this regard may be shared with CGWA.

All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.".

(ii). for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv). In industrial areas (as designated or, notified by Central/State Government), Central Ground Water Board (CGWB) shall construct need-based piezometers as per local hydro-geological conditions and further monitor water levels.

In other than industrial areas as mentioned above, construction of observation well(s)/(piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in Section 14 shall be mandatory for industries/Infrastructure drawing/ proposing to draw more than 100 m^3 /day of ground water for Hard rock aquifer type and more than 500 m^3 /day of ground water for Alluvium aquifer type. Monitoring of water levels in these areas shall be done by the project proponents. Minimum distance between the abstraction structure and piezometer will be 15 m if the aquifer tapped is hard rock and 50 m if the aquifer is alluvium**.** Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/wells. Detailed guidelines for design and construction of piezometers are given in Annexure II. Monthly water level data shall be submitted to the CGWA through the web portal.".

(iii). for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c). In case of saline ground water extraction, ground water quality data of existing bore well/ tube well/ dug well from any NABL accredited laboratory or Government approved laboratory.
Note**:** In case of new projects, water quality data / report of nearby existing wells from above-mentioned laboratories may be submitted for saline ground water extraction.".

(iv). for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d). For all new projects, document as proof of new establishment / commencement of operation i.e. Consent to Establish/ Environmental Clearance/ any other document from a statutory agency.".

(v). for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e). Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India.".

(vi). for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f). **Impact Assessment report:** All projects extracting/proposing to extract ground water in excess of 100 m^3 /day in Over-exploited, Critical and Semi-critical areas and in excess of 500 m^3/day in areas underlain by non-alluvium and 2000 m^3/day in areas underlain by alluvium in Safe assessment units shall have to mandatorily submit impact assessment report and ground water modeling study of existing/ proposed ground water withdrawal on the ground water regime covering 5 KM radius area around the project site prepared by accredited consultants. Pro-forma for the report is given in Annexure IV.".

6. In the paragraph 4.2,

(i). for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"ii) Construction of observation well(s) (piezometers) along the periphery in the premises, for monthly ground water level monitoring, shall be mandatory for mines drawing/ proposing to draw more than 100 m^3 /day of ground water. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be commensurate with aquifer used for irrigation/drinking water in the buffer area. Detailed guidelines for design and construction of piezometers are given in Annexure II.".

(ii). for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India or as feasible in the mine premises and as approved by CGWA/State agencies".

(iii). after clause (c), one more clause (d) shall be inserted, namely:-

"(d) For all New projects, document as proof of new project / commencement of operation i.e. Consent to Establish/ Environmental Clearance / any other document from a statutory agency.".

7. In the paragraph 4.3:-

(i). in the sub para 3, for the words "Indicative list of Infrastructure projects is given in Annexure VI", the words "Commercial infrastructure projects requiring ground water for drinking /domestic use shall also be covered under this category**.** Further, the Indicative list of location specific Infrastructure projects is given in Annexure VI" shall be substituted by revised Annexure VI given hereafter.

(ii). after clause (v), one more clause (vi) shall be inserted, namely:-

"(vi) All stadiums, cricket grounds, and other sports grounds/courts, golf courses etc shall construct/install appropriate mechanism for artificial recharge of ground water / rain water harvesting.

(iii). for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) In cases where dewatering is involved, submission of impact assessment report along with groundwater modelling in 5 km radius prepared by an accredited consultant on the ground water situation in the area giving detailed plan of pumping, proposed usage of pumped water and comprehensive impact assessment of the same on the ground water regime shall be mandatory. The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues such as ground water level decline, land subsidence etc.".

(iv). for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India.".

(v). after clause (g), one more clause (h) shall be inserted, namely:-

"(h) For all New projects, building plan approval or any other relevant document as proof of new project from a statutory agency.".

-

8. In the Section I under paragraph 5.1, for the table 5.1, the following table 5.1 shall be substituted, namely:-

"Table 5.1 Ground Water Abstraction charges for Drinking & Domestic use

Quantum of Groundwater withdrawal (m^3/day)	**Rate of ground water abstraction charges (Rs. per m^3)**
0-25	No Charge
> 25- < 200	1.00
200 and above	2.00

Government/ Government authorized agencies supplying water for drinking/ domestic use and Government infrastructure projects shall pay ground water abstraction charges @ Rs. 0.50 per m^3 irrespective of quantum of ground water abstraction.".

9. In the paragraph 6.0, sub para 2, the following shall be substituted, namely:-

"All those users abstracting ground water and using it for supply as bulk water supplies through private tankers shall mandatorily seek No Objection Certificate for ground water abstraction as per Guidelines for Bulk water suppliers as issued and updated by CGWA from time to time.".

10. In the paragraph 7.0, sub para 3, the following shall be substituted, namely:-

"Abstraction of saline ground water shall be according to the Guidelines for Saline Ground Water Abstraction as issued and updated by CGWA from time to time.".

11. In the paragraph 8.0,

In the sub para 2, the following shall be substituted, namely:-

"Projects falling within 500 m from the periphery of demarcated wetland areas shall mandatorily submit a detailed proposal indicating that any ground water abstraction by the project proponent does not affect the protected wetland areas. Furthermore, before seeking permission from CGWA, the projects shall take consent/approval from the appropriate Wetland Authority/ State Authority or any other appropriate local government authority to establish their projects in the area.".

12. In the paragraph 9.0:-

(i). for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i). Installation of tamper proof digital water flow meter/ Pre Paid Meter (s) (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking No Objection Certificate and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of No Objection Certificate through the web-portal.
In case the ground water extraction is from multiple bore/tube wells within the same premises, tamper-proof digital water flow meter(s)/Pre Paid Meter (s) with telemetry can be installed at common outlet point(s).".

(ii). for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"iv. Proponents shall pay ground water abstraction/ restoration charges based on quantum of ground water extraction as applicable as per the rates given in Section 5.".

(iii). for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
"v. Purpose-built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be installed as per Section 14. Water level data shall be made available to CGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure-II.".

(iv). for clause ix, the following clause shall be substituted, namely:-

"ix. In case of change of ownership, new owner of the premises will have to apply for incorporation of necessary changes in the No Objection Certificate with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.".

13. In the paragraph 14.0,

(i). for sub para 1, the following shall be substituted, namely:-

"In other than industrial areas as mentioned hereafter, all the project proponents (drawing ground water more than 100 m^3 /day of ground water for Hard rock aquifer type and more than 500 m^3 /day of ground water for Alluvium aquifer type have to mandatorily construct Piezometers (observation wells) within their premises for monitoring of the ground water levels. Further, in industrial areas (as designated or notified by Central/State Government), Central Ground Water Board (CGWB) shall construct need-based piezometers as per local hydro-geological conditions and further monitor water levels. Such a mechanism of compliance conditions has been made to ensure regular monitoring of ground water level in the project area. In this regard the necessary criteria for monitoring of water levels through piezometers by the project proponents is given in Table 14.1.".

(ii). for Table 14.1, the following Table shall be substituted, namely:-

Table 14.1 No. of Piezometers with Digital Water Level Recorder (DWLR) and telemetry to be constructed & Type of Water Level Monitoring Mechanism

Sl. No.	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No. of piezometer(s) (with DWLR and telemetry required)
1.	0-100	0
2.	>100 (Hard rock aquifer type in other than industrial areas)	1
3.	>500 (Alluvium aquifer type in other than industrial areas)	1

14. In the paragraph 16.0, in the Table 16.1,

(i). Serial no. 2, i.e. "Non disclosure/ construction of additional groundwater abstraction structures
a) Non-functional Structures.
b) Defunct/Abandoned
Note: Given rates are for unit non-functional/ defunct/ abandoned structures. This shall be multiplied with total such structures to arrive at consolidated penalty",

shall be substituted with

"Non disclosure/ construction of additional groundwater abstraction structures
a) Functional / Non-functional Structures.
b) Defunct / Abandoned
Note: Given rates are for unit Functional/non-functional/ defunct/ abandoned structures. This shall be multiplied with total such structures to arrive at consolidated penalty."

(ii). under the serial no. 7, for the words, "Non maintenance of Recharge structures", the words "Non maintenance of water conservation structures/ recharge structures" shall be substituted.

(iii). in the paragraph 16.0, the sub para 2 shall be substituted, namely:-

"Application fee for fresh/ renewal of NOC shall be charged as per the rates prescribed by CGWA from time to time and intimated through the official web portal. Fee shall also be payable for correction/ modification in the existing issued No Objection Certificate letter.".

(iv). in the Table 16.2,

i. under the heading/heading of the table, for the words "Proposed Charges" the words "Charges" shall be substituted.

ii. the serial no. 1 (i.e the words " Change in recharge quantum including applicable charges") shall be deleted.

15. In the Annexure II, for bullet point 1, the following bullet point shall be substituted, namely:-

"The piezometer is to be installed / constructed at the minimum distance of 15 m if the aquifer tapped is hard rock and 50 m if the aquifer is alluvium from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about four inches to six inches.".

16. In the said guidelines, **Annexure VI** shall be substituted as given hereafter:

"Annexure VI

Indicative list of location specific Infrastructure Projects

Sl. No.	**Infrastructure Projects**
1.	Special Economic Zone
2.	Metro Station/Railway Station & Bus Depot
3.	Airport, Seaport, Logistics, Cargo & Warehouse
4.	Highway Infrastructure
5.	Fire station
6.	Hospitals & Nursing Homes
7.	Educational Institutions including schools, colleges, universities, coaching institutes, Training Centres/ Skill development centres

Note:- The requirement of NOC for Groundwater use may include the water requirement for drinking water/domestic uses also.

17. In the said guidelines, **Annexure VIII** shall be substituted as given hereafter:

"Annexure VIII

List of States/Union territories where ground water extraction is being regulated by Central Ground Water Authority

1.	Andaman & Nicobar
2.	Assam
3.	Arunachal Pradesh
4.	Bihar
5.	Chhattisgarh
6.	Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu
7.	Gujarat
8.	Jharkhand
9.	Madhya Pradesh
10.	Maharashtra

11.	Manipur
12.	Meghalaya
13.	Mizoram
14.	Nagaland
15.	Odisha
16.	Rajasthan
17.	Sikkim
18.	Tripura
19.	Uttarakhand

Note: The above list is dynamic in nature and any addition/deletion in this regard shall be communicated to the States/UTs, project proponents including industries by CGWA through its official web portal.".

18. In the **Annexure IX (Glossary of technical terms used)**, under the serial no. 17, for the words "Drinking and domestic use: Besides drinking & domestic use of households, this category will cover drinking requirement of industries not requiring water for industrial process; drinking, washing, cleaning use etc. in case of hospitals, hotels, malls & multiplexes, institutions, offices, banquet halls, fire stations, metro stations, railway stations, airports, sea ports, stadia etc.", the words,"**Drinking and domestic use**: Water required for daily household activities including hygienic purposes, such as cooking food, bathing, cleaning / washing, sanitation etc. Besides drinking & domestic use of households this category will cover drinking requirement of industries not requiring water for industrial process; drinking, washing, cleaning use etc. in case of hospitals, hotels, malls & multiplexes, institutions, offices, banquet halls, fire stations, metro stations, railway stations, airports, sea ports, stadia etc."shall be substituted.".

19. In the **Annexure X**, under the heading, for the words "Annual water audits by the industries (Source–CII)", the words, "Water audits by the industries" shall be substituted. "

[F. No. 23014/29/2021-Coordination Section- Part(2)]

ASHISH KUMAR, Director

Note: he 'Guidelines to control and regulate ground water extraction in India' were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide S.O. 3289 (E) dated 24th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA